

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आलय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

दुर्गा वनाम रामेश्वर वर्मा
 कदमा प्रा.पत्र टी.आई. मुकदमा नं. 27 सन् 2019

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
<p>04 19</p>	<p>वकील प्रार्थी श्री हंसराज मावठिका ने हाजिर अदालत होकर प्रार्थना-पत्र टी.आई. प्रेष किया। प्रार्थना-पत्र पर्ज रजिस्टर किया जावे। स्थिति पर बहस वकील प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गई। परवक्त बहस वकील प्रार्थी ने वकील पेश की, कि प्रार्थी विवादित भूमि में का सह खातेदार होकर 1/2 हिस्सा का हक धारी हैं अतः जब तक विशिष्ट विभाजन ना हो, अन्तरिम अर्थाई निषेधाना जारी की जावे।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की दलीलों पर मनन किया गया। अन्तरिम टी.आई. जारी किये जाने से पूर्व अर्थाई पक्ष को अपना पक्ष रखने हेतु सुना जाना न्याय हित में है। अतः अर्थाई शिग को सुनवाई हेतु सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 29/04/2019 को पेश है।</p>	
	<p>29/4/19 पत्रावली पेश हुई। मजिस्ट्रेट परिसर वप./अनुमति। विवादीय अधिकारी वकील प्रार्थी से वकील पत्रावली तालीम कार्यवाही हेतु दिनांक 13-5-19 को पेश की।</p>	
	<p>13/05/19 वकील प्रार्थी द्वारा अर्थाई शिग की तलबी पर तत्पश्चात् तलबाना पेश होने पर जरूर सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 24/06/2019 को पेश है।</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
२५ ^{०६} / _{१९}	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय परिकेन रफ/अनुमतिगत पीठारीन अधिकारी को अनुमतिगत में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक <u>२५/०७/१९</u> को पेश हो। (३)</p>
२५ ^{०७} / _{१९}	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय परिकेन रफ/अनुमतिगत पीठारीन अधिकारी को अनुमतिगत में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक <u>२६/०९/१९</u> को पेश हो। (३)</p>
२६ ^{०९} / _{१९}	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रचरण में कई बार आवाज लगवाई गई। वहील प्रार्थी अथवा पक्षकारण में से कोई भी हाजिर अदालत नहीं आया। अतः प्रचरण अदम हाजरी एवं अदम बैरबी में जारी डिग जात है। पत्रावली सुसल कुमार डेडर नम्बर से कुम हो तथा बाद तडमील दाखिल दफ्तर है। निम्नलिखित न्यायालय में सुनाया जाय। Jr</p>